

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर
6 वेस्ट पटेल नगर, रातानाड़ा जोधपुर
दूरभाष नं. 2091-2510746 email: me.jodhpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- खअ/जोध/बजरी/निलामी/2024/

दिनांक :

नीलामी सूचना प्रकाशन 14/2023

इस कार्यालय क्षेत्राधिकार में विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान जब्तशुदा खनिज बजरी की निलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदाएँ(दरें) दिनांक 05.02.2024 (साय 05 बजे तक) कार्यालय खनि अभियन्ता जोधपुर में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सिलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 06.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष कार्यालय में खोली जायेगी जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	स्थान का नाम जहां जब्तशुदा बजरी पड़ी है।	बजरी की अनुमोदित मात्रा (टनो में)	बयाना/अमानत राशि	न्यूनतम निविदा राशि
1.	खेजड़ली कला में कैरियानाड़ा के पास खसरा संख्या 189 में गैर मुमकिन ओरण	600	14,460	1,44,600
2.	कांकाणी खसरा संख्या 608, 608/1, 608/2 में खातेदारी भूमि में	250	6,025	60,250
3.	खसरा संख्या 7/1 व 6/4 ग्राम सालोड़ी	700	16,870	1,68,700
4.	रिडिया फांटा (आखली)	113.75	2,741	27,414
5.	खाराबेरा निकटग्राम बिलाड़ा नगर पालिका क्षेत्र	78.4	1,890	18,894
6.	मैसर्स केण्डी स्टोन क्रेशर के पास स्थिति खातेदारी भूमि ग्राम कांकाणी	1083.6	26,115	2,61,148
7.	एम.एल. संख्या 135/95 ग्राम कांकाणी	525	12,653	1,26,525
8.	प्रभु वे ब्रिज के पास, सतलाना	70	1,687	16,870
9.	खसरा संख्या 40 ग्राम लोलासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर	720	17,352	1,73,520
10.	खसरा संख्या 91/5 ग्राम लोलासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर	400	9,640	96,400
11.	जोधपुर की तहसील लूणी के ग्राम खेजड़ली कला में खसरा संख्या 148 व 184/1	2940	70,854	7,08,540
12.	जोधपुर की तहसील लूणी के ग्राम खेजड़ली कला में खसरा संख्या 184	4676	1,12,692	11,26,916
13.	जोधपुर की तहसील लूणी के ग्राम खेजड़ली कला में खसरा संख्या 363	2464	59,382	5,93,824
14.	धाधिया तहसील लूणी	815	19,642	1,96,415

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

- निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। न्यूनतम बोली प्रतिटन राशि रुपये 241/- है, जो एस.आई.टी. से अनुमोदित है। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षेत्र/स्थल का नाम जहां बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएँ कार्यालय खनि अभियन्ता जोधपुर खनिज भवन, 6 वेस्ट पटेल नगर रातानाड़ा जोधपुर में रोकड़ शाखा कक्ष में दिनांक 05.02.2024 (सायंकाल 5.00 बजे) तक डाली जा सकेंगी।
- प्रत्येक निविदा के साथ ऊपर वर्णितानुसार बयाना/अमानता राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, जोधपुर के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग-2 थाना परिसर/चौकी/स्थल की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो बयाना/अमानता राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी अलग-अलग ही संलग्न करने होंगे। निविदा राशि 10/- प्रतिटन के गुणक में ही मान्य होगी।
- निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारो/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यो के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।

04. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना/चौकी/स्थल पर किया जा सकता है। इसकी जानकारी कार्यालय खनि अभियंता, जोधपुर परिसर के तकनीकी स्टाफ से भी ली जा सकती है।
05. जप्तशुदा बजरी संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
06. प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 06.02.2024 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष खनि अभियंता जोधपुर के कक्ष में खोली जाकर उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि की डी.डी. के साथ-साथ संबंधित बजटमद में जमा करवाकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी। राशि जमा होने की तिथी से 15 एवं अधिकतम 20 दिवस में समस्त बजरी उतानी होगी। अन्यथा बयाना/अमानत राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी।
07. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्च) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।
08. निविदादाता को पहचान पत्र/एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
09. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावा GST/Tax अतिरिक्त जमा कराना होगा।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जोधपुर जिला जोधपुर होगा।
12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय खनि अभियंता जोधपुर द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
13. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
14. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजीका में किया जावेगा। स्टॉक के बैलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियंता/अधीक्षण खनि अभियंता एवं अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता) को वहाट्सअप पर भेजने के पश्चात् ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
15. विभागीय कार्मिक द्वारा निलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र में संबंधित ऊपर अंकित अधिकारियों को वाट्सअप पर भेजने के पश्चात् ही वाहनों को रवन्ना किया जा सकेगा।
16. नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगिता स्थल पर परिवहन करेगा।
17. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो, वाहनों की तोल पर्विया एवं भरे हुए वाहनो की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी।
18. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा और इसमें सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
19. सफल निविदादाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
20. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
21. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।
22. शेष सभी शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।

खनि अभियंता
जोधपुर

क्रमांक:- खअ/जोध/बजरी/नीलागी/2024/ 63

दिनांक : 22/1/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान-उदयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर।
3. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, जोधपुर।
4. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस. खान एवं भू-विज्ञान विभाग निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
5. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक(खान) जोधपुर-जोन, जोधपुर।
6. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जोधपुर।
7. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियंता(सतर्कता) जोधपुर।
8. श्रीमान् खनि अभियंता(सतर्कता) जोधपुर।
9. सहायक खनि अभियंता, कार्यालय हाजा।
10. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम कार्यालय हाजा।
11. खनिकार्यदेशक श्रेणी द्वितीय कार्यालय हाजा।

Amhoms
29/1/24

खनि अभियन्ता
जोधपुर

1428
30/1/24

35
30/01